संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका/सेल.3/छतरपुर/2018/1557 भोपाल, दिनांक 30/8/18

// आदेश //

कलेक्टर , जिला छतरपुर ने पत्र कमांक.16506/दिनांक 25.08.2018 प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यांण विभाग की ओर प्रेषित करते हुये यह अवगत करवाया गया कि जिला चिकित्सालय, छतरपुर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ डॉ.गायत्री नामदेव एवं मेडिकल स्टोर संचालक के मध्य रूपयों के लेनदेन संबंधी खुली बातचीत का आडियों वायरल हुआ है। आडियों क्लिप में डॉ.श्रीमती गायत्री नामदेव द्वारा मेड़िकल स्टोर संचालक से पिछले महीने के पैसे लिये जाने की बात स्वीकार की गई है। क्लिप में डॉ.नामदेव द्वारा मेड़िकल स्टोर संचालक से राशि रूपये 10,000/-की मांग करते हुये यह भी कहां गया कि आप कहो तो हम वहां (मेड़िकल स्टोर पर) पेंशेंट भेजना बंद कर दें।

आड़ियों क्लिप में रिकार्ड वार्तालाप में डॉ.गायत्री नामदेव, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं मेड़िकल स्टोर संचालक के मध्य अवैधानिक तरीके से चल रहे व्यवसाय में रूपयों का लेनदेन किया जाना परिलक्षित हुआ जो शासकीय सेवकों के पदीय दायित्वों/कर्त्तव्यों के विपरीत है।

कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र का सूक्ष्म अवलोकन पश्चात् यह तथ्य संज्ञान में आया कि जिला चिकित्सालय, छतरपुर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ डॉ.(श्रीमती) गायत्री नामदेव द्वारा उपरोक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं उनके निर्वहन में लापरवाही/भ्रष्टाचार किया जाकर उन्होने स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

राज्य शासन के आदेश कमांक.एफ.13-31/2004/17/मेडि-1 भोपाल,दिनांक 22.04.2006 द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश को प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ.(श्रीमती) गायत्री नामदेव, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये निलंबन काल में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग,सागर निर्धारित किया जाता है।

डॉ. (श्रीमती) नामदेव,स्त्रीरोग विशेषज्ञ को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त,द्वारा आदेशित</u>।

30/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.........2

पृ.क्रमांक.4 / शिका / सेल.3 / छतरपुर / 2018 / 1558 भोपाल, दिनांक 30/8/18

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल,म.प्र.की ओर प्रेषित।
02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिये गये निर्देशों के पालन में प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला छतरपुर,मध्यप्रदेश की ओर उनके द्वारा जिला चिकित्सालय छतरपुर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ डॉ.गायत्री नामदेव के विरूद्ध विभाग प्रमुख की ओर पत्र क्रमांक./स्वा. विभाग / स्थापना जी / 2018 / 16506 / दिनांक 25.08.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रेषित।
04. मिशन संचालक,एन.एच.एम.बैंक ऑफ इण्डिया,तृतीय तल अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
05. उप संचालक, विज्ञप्त / गोपनीय शाखा / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
06. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर की ओर प्रेषित।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर,मध्यप्रदेश की ओर जारी आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की संपूर्ण जानकारी आप कलेक्टर जिला छतरपुर से शीध्र संपर्क कर प्राप्त करते हुये डॉ.(श्रीमती) गायत्री नामदेव,स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय छतरपुर के विरूद्ध आरोप पत्र का प्रारूप साथ ही जारी आदेश की प्रविष्टी डॉ.नामदेव की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की प्रमाणित प्रति से अधोहस्ताक्षकर्ता को 10 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें **अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।**
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला छतरपुर,मध्यप्रदेश।
09. संभागीय कोष एवं लेखा सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला छरतपुर, मध्यप्रदेश।
11. **डॉ.(श्रीमती) गायत्री नामदवे, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, कार्यालय जिला छतरपुर,मध्यप्रदेश द्वारा** :–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
13. आदेश नस्ति ।

30/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश